

राजस्थान सरकार
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी
व भू.अ.नि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
नायब तहसीलदार की अनुज्ञा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील
जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	फतेहपुरावाड़ा वारिका	74	श्री. नाएपण पुत्र लालका	श्री. नाएपण पुत्र लालका

शिविर प्रभारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड लोक अदालत
(जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध
किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली

शिविर प्रभारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड लोक अदालत
(जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर